

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2036/9-1-2020-73टी.ए./2020
लखनऊ : दिनांक 12 जून 2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज, जिला-प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जनसामान्य से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या-2427/9-1-2020-73टी0ए0/2020, दिनांक-18 दिसम्बर, 2020 जारी की गयी थी, और तददिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण कार्यालय ज्ञाप संख्या-1137/9-1-2022-73टी.ए./2020, दिनांक 08 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की-धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-905, दिनांक 17 दिसम्बर, 1881 तथा समय-समय पर इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

(नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज जिला प्रतापगढ़ में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र)

दिशा	राजस्व ग्राम एवं गाटा संख्यायें
दक्षिणी सीमा	खजोहरी(सम्पूर्ण)-1 से 1336 तक
पूर्वी सीमा	कमईपुर (संपूर्ण)-1 से 177 तक


(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक-22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) मण्डलायुक्त, प्रयागराज, मण्डल, प्रयागराज।
- (2) जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कटरा मेंदनीगंज, प्रतापगढ़
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1**

In pursuance of the provisions under clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-~~2030~~/9-1-2022-73T.A./2020 dated July 22, 2022.

NOTIFICATION

**No.-~~2030~~/9-1-2022-73T.A./2020
Lucknow; Dated: July 22, 2022**

WHEREAS Government Notification no.-2427/IX-1-2020-73T.A./2020, dated: December, 18, 2020 was issued and published in the Gazette with a view to inviting objections and suggestions from general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Katara Mediniganj in District Pratapgarh as required by sub-section (1) section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916);


AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Office Memorandum no.-1137/XI-1-2022-73T.A./2020, dated; June 08, 2022.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of Notification no. 905, dated 17th December, 1881 and other previous notifications issued from time to time the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Katara Mediniganj in District Pratapgarh for the purposes of part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

(Area being included in Nagar Panchayat Katara Mediniganj, District Pratapgarh)

Direction	Revenue Villages Plot No.
Southern Border	Khajohri (Complete)- 1 to 1336
Eastern Border	Kamayipur(Complete)-1 to 177


(Amrit Abhijat)
Principal Secretary